



2026:AHC:10250

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 312 वर्ष 2026

एस. आई. चन्द्र प्रताप यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	अखिल कुमार श्रीवास्तव, मदन मोहन लाल
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव और राज्य प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता, श्री गौरव सिंह, को सुना गया।
- रिट याचिकाकर्ता का वाद यह है कि उन्हें वर्ष 1989 में सिपाही के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसके बाद 18.10.2024 को उन्हें प्रधान सिपाही और उप-निरीक्षक के पदों पर पदोन्नत किया गया। रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उन्हें 16 वर्ष की सेवा पूरी होने पर (जिसमें प्रशिक्षु के रूप में दी गई सेवा भी शामिल है) प्रशिक्षण अवधि की गणना करते हुए, दूसरा पदोन्नति वेतनमान/वेतनवर्ग 4200/- रुपये नहीं दिया गया है साथ ही, 17.03.2012, 05.11.2014, 03.03.2015, 26.08.2015, 22.12.2016 और 13.04.2020 के प्रासंगिक सरकारी आदेशों के आलोक में, उन्हें वेतन वृद्धि और 7वें वेतन आयोग (संशोधित वेतनमान) के लाभ, बकाया राशि सहित, प्रदान नहीं किए गए हैं।
- वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थियों को दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का सर्वप्रथम तीसरे प्रत्यर्थी, यानी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (स्थापना/कार्मिक), पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, पुलिस भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अधिनिर्णयन किया जाना आवश्यक है।
5. इस प्रकार के निवेदन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
6. विपक्ष की तर्कों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन तीसरे प्रत्यर्थी के समक्ष प्रस्तुत करे तीसरा प्रत्यर्थी, इसे प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, विधि के पूर्णतः अनुरूप याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने की कार्यवाही करेगा। यदि तीसरे प्रत्यर्थी की यह राय है कि इस मामले पर निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा लिया जाना चाहिए, तो संबंधित दस्तावेज उस प्राधिकारी को भेज दिए जाएंगे।
7. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस रिट याचिका का निस्तारण प्रत्यर्थियों से कोई जवाब मांगे बिना ही कर दिया गया है। अतः, इस आदेश को पारित किए जाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है।
8. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

जनवरी 16, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)